



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर चोरी के अभियुक्त को 02 वर्ष 11 माह के कारावास व ₹2,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 52/2021 धारा-379,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कमलेश रैकवार उर्फ बौना पुत्र छन्नू नेता नि0 गुठारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को 02 वर्ष 11 माह के कारावास व ₹2,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एपीओ श्री ज्ञानप्रकाश



विवेचक-
उ0नि0 दिनेश
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 हर्षनारायण